न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 34 / 2016

1. श्री बालू पुत्र श्री गोकल
2. श्री रामसुख पुत्र श्री रतना
   समस्त जाति भील, निवासीगण ग्राम मोहम्मदगढ, तहसील सरवाड, जिला अजमेर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री श्योदान पुत्र श्री किशना (किशना पुत्र श्री घीसा)
2. श्री सुजान
3. श्री रामधन
4. श्री रामप्रसाद
5. श्री हेमराज
6. श्री भागचन्द
7. श्री लाला
   समस्त पुत्रगण श्री किशना
8. श्रीमति नौसर पत्नि स्व0 श्री किशना
9. श्रीमति शायरी पत्नि श्री पप्पूलाल
   समस्त जाति भील, निवासी ग्राम मोहम्मदगढ, तहसील सरवाड, जिला अजमेर
10. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा टांटोटी, तहसील टांटोटी, जिला अजमेर जरिये शाखा प्रबन्धक
11. आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़

.....अप्रार्थीगण

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

———

उपस्थित :–

1– श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील प्रार्थीगण की ओर से ।
2– श्री महेन्द्र सिंह चौहान, वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की ओर से।
3– श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

अपर कलक्टर
अजमेर

–: आदेश :–

दिनांक–23.05.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 28.11.1975 को ग्राम सराना में आयोजित राजस्व कैम्प में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर श्री किशना पुत्र श्री घीसा, जाति भील, निवासी ग्राम मोहम्मदगढ, तहसील सरवाड जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम मोहम्मदगढ की आराजी खसरा नम्बर 581 में से रकबा 15 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा आवंटी के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए एवं जवाब नोटिस पेश किया। पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के पिता/पति के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम मोहम्मदगढ तहसील सरवाड़ स्थित विवादित आराजी साबिक खसरा संख्या 581 की राजस्व रेकॉर्ड में किस्म उसर दर्ज है। उक्त आराजी के दो तरफ नाडियां बनी हुई है एवं भूमि नाडियों की पालों के मध्य स्थित है एवं बारिश के दिनों में पानी भरा रहता है। भूमि की पानी सोखने की क्षमता नहीं होने से धूप से सूखने के कारण तल पर खार/नमक प्रकट होकर जम जाता है। जिसमें कृषि उपज/कार्य नहीं होता है व कृषि योग्य भूमि नहीं है। मौके पर कहीं–कहीं प्राकृतिक रूप से घास उगती है जो पशुओं की चराई के काम आती है एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के संयुक्त परिवार के मवेशी चरते आये हैं। उनका कथन है कि आवंटी श्री किशना का स्वर्गवास होने के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के नाम तस्दीक किया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 से 8 द्वारा बिना किसी कब्जे के विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 9 को विक्रय कर दी गई जिसका खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 608 दिनांक 27.08.2015 को स्वीकृत करते हुए जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 में अमल दरामद कर दिया एवं अप्रार्थी संख्या 9 द्वारा विवादित आराजी बैंक के रहन रखकर ऋण प्राप्त कर लिया। वादग्रस्त आराजी पर आवंटी श्री किशना व उनके वारिसान अथवा अप्रार्थी संख्या 9 द्वारा आवंटन के 47 वर्षों में कभी भी काश्त नहीं की गई है एवं भूमि की किस्म उसर होने से कृषि कार्य संभव भी नहीं है। विवादित साबिक खसरा संख्या 581 की आज तक तरमीम नहीं हुई है एवं राजस्व ऐजेन्सी से कभी कब्जा प्राप्त नहीं किया गया। न तो आवंटी अथवा उसके वारिसान एवं न ही क्रेत्री द्वारा आवंटन आदेशों की पालना की गई है। केवल आवंटन आदेश की पालना में राजस्व रेकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाने के कारण कृषि कार्य कर जीविकोपार्जन हेतु आवंटित की गई आराजी का विक्रय किया गया है। आवंटी बोनाफाईड कृषक नहीं है व ना ही उसका जीविकोपार्जन कृषि पर आधारित है एवं ना ही उसके द्वारा कभी काश्त की गई है। विवादित आराजी का

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

आवंटन करवाकर भू–माफिया के तौर पर विक्रय कर आर्थिक लाभ अर्जित किया जाकर भू–आवंटन के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य किया गया है।

वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि वरवक्त आवंटन आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूर्ण नहीं था। आवंटन के समय केवल अध्यक्ष (उपखण्ड अधिकारी) व तहसीलदार ही उपस्थित थे व उनके ही हस्ताक्षर अंकित हैं जबकि एक जनप्रतिनिधि व एक अनुसूचित जाति के सदस्य के हस्ताक्षर वरवक्त आवंटन बहैसियत सदस्य के रूप में होना आवश्यक है। कोरम के अभाव में यह सिद्ध है कि आवंटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष द्वारा पूर्ण कोरम की सलाह लिये बिना एवं कोरम की स्वीकृति के बिना आक्षेपीय आवंटन किया गया है जो भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 13 के विपरीत है। अपने कथनों के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान RBJ 2002 पेज 115, RRD 1987 पेज 324 एवं RBJ 2005 पेज 488 पर माननीय राजस्व मण्डल राज0, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के पिता/पति के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 8 का कथन है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में समस्त गलत तथ्य अंकित किये गये है। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के पिता/पति के पक्ष में नियमानुसार पूर्ण जांच पश्चात विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। विवादित आराजी पर आवंटी व उनकी मृत्यु पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 से 8 का आवंटन पश्चात से निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आज भी अप्रार्थीगण विवादित भूमि पर काबिज काश्त है। इस तथ्य की पुष्टि राजस्व अभिलेख वर्किंग जमाबन्दी, जमाबन्दी सम्वत 2042, 2043 से 2046, 2047 से 2050, 2051 से 2054, 2055 से 2058 एवं 2069 से 2088 से होती है। उन्होने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का श्री किशना पुत्र घीसा के पक्ष में विधिवत आवंटन पश्चात नामान्तरकरण संख्या 72 दिनांक 15.05.1987 स्वीकृत कर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। आवंटी की मृत्यु पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के नाम विरासत तस्दीक की गई एवं इनके द्वारा विधिवत रूप से विवादित आराजी का बेचान अप्रार्थी संख्या 9 के पक्ष में कर दिया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 608 दिनांक 27.08.2015 तस्दीक किया गया है। उनका कथन है कि वकील प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि वादग्रस्त आराजी की राजस्व रेकॉर्ड में किस्म उसर दर्ज है जो कि आवंटन योग्य नहीं है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत किस्म उसर प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि नहीं है। इसके साथ ही उनका यह कथन भी विधिनुकूल नहीं है कि वरवक्त आवंटन पूर्ण कोरम का अभाव था। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के पिता/पति को विवादित आराजी का आवंटन राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत नहीं किया जाकर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1957 के तहत किया गया है। वरवक्त आवंटन पूर्ण कोरम अर्थात अध्यक्ष (उपखण्ड अधिकारी) व तहसीलदार उपस्थित थे व उनके हस्ताक्षर भी अंकित हैं। वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 8 ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि नियम 14(4) के अन्तर्गत केवल ऐसे आवंटन को निरस्त किया जा सकता है जो तथ्यों को छिपाकर कपटपूर्वक करवाया गया हो। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की मंशा से यह आधारहीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के पिता/पति के पक्ष में हुआ विवादित भूमि का आवंटन यथावत रखा जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 8 द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाबुल जवाब में वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी पर आवंटन के समय से ही आवंटी व उनके वारिसान का निरन्तर कब्जा काश्त होने का कथन किया गया है किन्तु अपने कथनों के समर्थन में उनके द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गई है जो उनके इस तथ्य की पुष्टि करते हों। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर आवंटी अथवा उसके वारिसान का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के पिता/पति के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के पिता/पति के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन वर्ष 1975 में पूर्णतया नियमानुसार किया गया था। तत्पश्चात उन्हें विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं एवं आराजी अप्रार्थिया संख्या 9 को विक्रय की जा चुकी है। लगभग 47 वर्ष की अवधि के पश्चात विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। हालांकि नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्त करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है किन्तु केवल मात्र ऐसे आवंटन को निरस्त करवाया जा सकता है जो छल, कपटपूर्वक तथा तथ्यों को छिपा कर करवाया गया हो। रेकॉर्ड पर ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए हैं जिससे यह स्पष्ट होता हो कि आवंटी/अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपा कर विवादित भूमि का आवंटन करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के पिता/पति को विवादित आराजी का आवंटन राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1957 के अन्तर्गत किया गया है जबकि आक्षेपीय आवंटन आदेश को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम के अन्तर्गत चुनौती दी गई है जो कि विधि अन्तर्गत नहीं है। साथ ही आवंटित भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि भी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के पिता/पति के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन पूर्ण जांच पश्चात किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के पिता/पति के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते